[illegible]/7/17 [illegible] आज आवश्यक लोक महत्वपूर्ण कार्य के कारण [illegible] कुलदीपपुरा में सेवाकर प्रकरण में होने के कारण पत्रावली अवधिपार दिनांक 2/6/17 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
करौली

2/6/17 वकील डिक्री दार उपस्थित। प्रकरण में होने के कारण पत्रावली अवधिपार दिनांक 18/8/17 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
करौली

18/8/17 [illegible] एडवोकेट आज कार्य से बाहर होने के कारण आज दिनांक 18/8/17 को विचाराधीन राजस्व मुकदमात की सुनवाई दिनांक 13/10/17 को की जावेगी।

13/10/17 श्री [illegible] एडवोकेट आज कार्य से बाहर होने के कारण आज दिनांक 13/10/17 को विचाराधीन राजस्व मुकदमात की सुनवाई दिनांक 15/12/17 को की जावेगी।

15/12/17 वकील डिक्री दार उपस्थित। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने मूल वाद पत्र दाखिल के पूर्व मूल वादपत्र के दाखिल होने के उपरान्त डिक्री की मलबा कानून के प्रावधानों की विधि विरुद्ध है अधिनियम उक्त डिक्रीदार अनिवार्यतः दाखिल की पत्रावली फैसल पुनः होकर आने तक पत्रावली अवधिपार हो।

उपखण्ड अधिकारी
करौली